कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जयपुर

क्रमांकः मुजिशिअ/जय/शै.प्रकोष्ठ/फा–विद्या सम्बल योजना/2026 दिनांकः

:: विज्ञप्ति ::

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवतापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांकः शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/गेस्ट फेकल्टी/12226/2024–25528–5729091 दिनांकः 27.08.2026 (राजकाज क्रमांक 24275528), श्रीमान मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज पत्र क्रमांकः 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.6(2)वित्त/सा.विले.नि/2021 जयपुर दिनांकः 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों (IFMS पर रिक्त पद) पर ''विद्या संबल योजना'' के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यार्थियों को ''गेस्ट फेकल्टी'' के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना हैं।

उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यताएं/शर्ते और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –

1. विद्या संबल योजना के तहत लगाये जाने वाले पद एवं योग्यताएं –

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोट :

1. गेस्ट फेकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फेकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेगें।
3. सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फेकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होगें, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फेकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होगें।
5. भाषा विषयों को छोडकर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फेकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी।

2. रिक्तियों –

विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फेकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

3. रिक्तियों का प्रकाशन –

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।

4. आवेदन प्रक्रिया –

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हो, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अन्तिम तिथि तक विद्यालय में

RajKaj Ref No.: 24285383

Digitally signed by MUKUL KAVIA
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-29 11:53:18 IST

v-1.0

में संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

5. वरियता का निर्धारण –

विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फेकल्टी लगाए जाने हतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरियता सूची का प्रकाशन संबंधित प्रधानाचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। वरियता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोडकर किया जाएगा। **सेवानिवृत्त कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरियता में उपर रखा जाएगा।** सेवानिवृत्त कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नही होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरियता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी के उपर रखा जाएगा। गेस्ट फेकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नही लिया जाएगा।

6. परिवेदना प्रस्तुत करना –

पात्रता अथवा वरियता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदन द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदन समिति निम्नानुसार होगी –

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर	अध्यक्ष
2	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपीन अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को श्रीमान जिला कलक्टर, जयपुर को अन्तिम निर्णय लिए जाने हेतु प्रस्तुत करेगी।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अन्तिम होगा।

7. विद्या संबल योजना के तहत मानदेय –

विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फेकल्टी को पदवार प्रति घण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा –

क्र.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
1	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

8. अन्य शर्ते –

I. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फेकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्रधानाचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर कार्य करने हेतु उपस्थित होगें।

II. निर्धारित अन्तिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फेकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

III. गेस्ट फेकल्टी के रूप में संत्रात (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

IV. उक्त सेवाएं चुंकि गेस्ट फेकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही हैं। अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फेकल्टी के तहत दी गई सेवाएं भविष्य में चयनित पद के लिए स्थायी राजकीय सेवा का आधार नही होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नही की जा सकेगी।

V. गेस्ट फेकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्ही दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जाएगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित हैं।

RajKaj Ref No.: 24285383

Digitally signed by MUKUL KAWA
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-29 11:53:18 IST

v-1.0

VI. गेस्ट फेकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्रधानाचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्रधानाचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फेकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

9. कार्यक्रम एवं समय–सारणी – (नगर निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	29.08.2026
2.	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3.	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12.00 बजे तक)
4.	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सायं 04.00 बजे तक)
5.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं अस्थाई वरियता सूची में आपत्तियॉ मॉगना।	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02.00 बजे तक
6.	अभ्यर्थियों की आपत्तियों के निस्तारण पश्चात अन्तिम एवं स्थाई वरियता सूची जारी कर, स्थाई वरियता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना	11.09.2026 (सायं 06.00 बजे तक)
7.	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुॅचाना	12.09.2026 (दोपहर 12.00 बजे तक)
8.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुॅचाना	14.09.2026 (दोपहर 12.00 बजे तक)
9.	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन–सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (सायं 05.00 बजे तक)
10.	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11.59 बजे तक)

(मुकुल कविया)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, जयपुर

क्रमांकः मुजिशिअ/जय/शै.प्रकोष्ठ/फा–विद्या सम्बल योजना/2026 दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. श्रीमान जिला कलक्टर, जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक, जयपुर।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला जयपुर।
6. समस्त पीईईओ/संस्था प्रधान .....
7. कार्यालय प्रति

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, जयपुर

RajKaj Ref No.: 24285383

Digitally signed by MUKUL KAVIA
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-29 11:53:18 IST

v-1.0

आवेदन का प्रारूप

फोटो

1. आवेदक का नामः–

2. पिता का नामः–

3. आवेदित विद्यालय का नामः–

4. आवेदित पद का नामः–

5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथिः–

6. जन्म तिथिः–

7. शैक्षणिक योग्यताः–
   1. माध्यमिक वर्ष–––––– प्रतिशत––– संलग्न–1
   2. उच्च माध्यमिक वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–2
   3. स्नातक वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–3
   4. अधिस्नातक वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–4

8. प्रशैक्षणिक योग्यता
   1. बी.एड./समकक्ष वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–5
   2. डी.एल.एड./समकक्ष वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–6

9. वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)– रीट,उत्तीर्णता वर्ष––––––प्रतिशत––– संलग्न–7

10. निवास का पताः–
    1. स्थाई––
    2.वर्तमान––

11. मोबाईल नम्बरः––

12. जाति वर्ग––––––––––प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न–8

13. अन्य (विकलांग/भू.पू.सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/स्पोर्टस पर्सन) संलग्न–9

14. आधार कार्ड की प्रति। संलग्न–10

15. मूल निवास प्रमाण पत्र। संलग्न–11

16. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त) संलग्न–12 व 13

17. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि–चूंकि मेरी सेवाए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची–संलग्नक 1 से 13 (स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) एवं **वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है** तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर